सत्यमेव जयते

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय /
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून /
Regional Office, Dehradun

प्रकृतिः रक्षति रक्षिता
Nature Protects if She is Protected

25 सुभाष रोड, देहरादून-248001/ 25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
दूरभाष/ PHONE-0135-2650809, ईमेल/ E-mail-moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 8बी/यू.सी.पी./**09/39/2023/**एफ.सी. 1167 दिनांकः 11 **/12/2023**

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः- **जनपद- पिथौरागढ़ के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री जी घोषण संख्या-314/2018 जनपद- पिथौरागढ़ में डीडीहाट (ग्राम ननपापों) में हेलीपैड के निर्माण हेतु 0.15 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्रामीण निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। (Online Proposal no. FP/UK/OTHERS/146642/2021)**

सन्दर्भः- **कार्यालय- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक – 760/FP/UK/OTHERS/146642/2021 दिनांक 19.10.2023**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 28.04.2023 के जवाब में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत उत्तर के अवलोकन से ज्ञात हुआ है कि प्रस्तावित भूमि न तो आरक्षित वन है और न ही संरक्षित वन है। इसके अतिरिक्त, डायवर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि श्रेणी 9 (3) (क) की सिविल (राजस्व) भूमि है तथा प्रबंधन के उद्देश्य से इसे वन पंचायत भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया है। इसके अतिरिक्त, यह क्षेत्र पेडों से रहित है इसलिए किसी प्रकार के वृक्ष का पातन प्रस्तावित नहीं है। अतः इस संबंध में प्रस्ताव को आर ई सी की बैठक में चर्चा हेतु रखा जाना सूनिश्चित किया गया है। परन्तु केएमएल में देखा गया है कि क्षेत्र में नवंबर-दिसंबर 2021 के समय मार्ग निर्माण पहले ही किया जा चुका है।

अतः आर ई सी की बैठक में चर्चा किये जाने से पूर्व प्रभागीय वनाधिकारी से अनुरोध है कि वह स्पष्ट करें कि क्या एफसीए, 1980 के प्रावधानों के तहत मार्ग के निर्माण के लिए कोई मंजूरी ली गई है। यदि नहीं, तो संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी से अनुरोध है कि स्वयं क्षेत्र का स्थल निरीक्षण कर विस्तृत जानकारी सहित उल्लंघन पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(हरे राम कुमार)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1. अपर मुख्य सचिव (वन) उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून।

(हरे राम कुमार)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)